

निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

79- धौलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्रीमती शोभारानी कुशवाह

ग्राम- जमालपुर पो०-शास्त्रनगर तह० सैपऊ, जि० धौलपुर

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े की गई हैं ।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं।

स्थान धौलपुर

दिनांक 3 दिसम्बर 2023

हस्ताक्षर

(मनीष कुमार जाटव)

रिटर्निंग अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट धौलपुर

79- विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र धौलपुर

रिटर्निंग ऑफीसर

79-धौलपुर विधान सभा क्षेत्र

(S.D.M., धौलपुर)

Conduct of Elections Rules, 1961
(Statutory Rules And Order)
FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** from **79-Dholpur** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

SHOBHARANI KUSHWAH

village-jamalpur post-shastranagar tehsil saipau dist. dholpur [sponsored by **Indian National Congress**] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place :

Date : 03-12-2023



(MANISH KUMAR JATAV)

Returning Officer

079-Dholpur

Legislative Assembly Constituency

रिटर्निंग ऑफिसर
79-धौलपुर विधान सभा क्षेत्र
(S.D.M., धौलपुर)